बिहार सरकार
शिक्षा विभाग,
(प्राथमिक शिक्षा निदेशालय)
::आदेश::

पटना, दिनांक 20/03/26

संचिका संख्या–07/मु0–02–15/2026–1102/ माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा सी0डब्ल्यू0जे0सी0 सं0–7411/2024 बाली शर्मा बनाम राज्य सरकार एवं अन्य में दिनांक–25.11.2024 को पारित न्यायादेश के अनुपालन में यह आदेश निर्गत किया जा रहा है।

2. उक्त वाद में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक–25.11.2024 को न्यायादेश पारित की गई, जिसका कार्यकारी अंश निम्नवत् है:–

".... 4. In view of the aforesaid submission, petitioner is directed to file fresh representation before the Director, Primary Education, Education Department, Vikash Bhawan, Government of Bihar, Patna (Respondent No. 3) with all the supporting documents and notifications within a period of three months from today.

5. If such, representation is filed by the petitioner within the stipulated time period, Respondent No. 3 shall dispose of the same, after hearing the parties, by a speaking and reasoned order, in accordance with law, within a period of six months from the date of filing of such representation.

6. Writ application stands disposed of with the aforesaid observations……"

3. माननीय न्यायालय द्वारा याचिका सं0–7411/2024 बाली शर्मा बनाम राज्य सरकार एवं अन्य में दिनांक– 25.11.2024 को पारित न्यायादेश के आलोक में याचिकाकर्त्ता को सुनवाई का मौका देते हुए दिनांक–23.02.2026 तथा दिनांक–25.02.2026 को अपना पक्ष रखने का अवसर दिया गया । जिसमें VC के माध्यम से वादी श्री बाली शर्मा एवं जिला शिक्षा पदाधिकारी, जहानाबाद उपस्थित हुए। उक्त सुनवाई में तथ्य एवं दलीलें दोनो पक्षों द्वारा रखी गयी।

4. याचिकाकर्त्ता का कथन है कि उनकी नियुक्ति नियमित शिक्षक के रूप में हुई थी। प्रोन्नति के उपरान्त उन्हें प्रधानाध्यपक के पद पर रहते हुए दिनांक–28.02.2001 को मध्य विद्यालय, भरथू, जिला–जहानाबाद से सेवानिवृत हुए। वादी का पंचम वेतन निर्धारण दिनांक–22.01.2022 का हुआ था तथा भुगतान अगस्त 2023 को हुई। वादी का दावा है कि उनका बकाया वेतन का ब्याज सहित भुगतान किया जाय।

5. जिला शिक्षा पदाधिकारी, जहानाबाद ने अपने पत्रांक–583 दिनांक–21.02.2026 से प्रतिवेदित किया है कि बिहार सरकार वित्त विभाग के पत्रांक संख्या–4838 दिनांक–02.08.2001 के द्वारा राज्य के राजकीय विद्यालयों के प्रोन्नति पर वेतन निर्धारण की प्रक्रिया निम्नवत है:–

".....इस विभाग के पत्रांक 7946 वि० (2) दिनांक–16.11.2000 द्वारा यह स्पष्ट किया गया था कि 01.01.1986 के प्रभाव से, केन्द्र सरकार द्वारा शिक्षकों की प्रोन्नति पर एफ० आर० 22(1) (ए) (i) के अधीन वेतन–निर्धारण किये जाने संबंधी उनका निर्णय राज्य सरकार के अधीन राजकीयकृत विद्यालयों के शिक्षकों के संबंध में भी स्वतः लागू है। उक्त परिपत्र द्वारा यह निर्देश भी दिया गया था कि उक्त तिथि के बाद प्रोन्नति के सभी

मामलों की जाँच कर ली जाए और जिन मामलों में प्रोन्नति पर एक वेतनवृद्धि देकर वेतन निर्धारण किया गया हो वैसे सभी मामलों में उक्त एफ० आर० के तहत वेतन का निर्धारण कर अतिरिक्त हुए भुगतान की वसूली एक मुश्त, अथवा संबंधित शिक्षक के अनुरोध पर अधिकतम बीस किस्तों में, उनके वेतन–विपत्र से कर ली जाए।

2. सरकार के उपयुक्त निर्देश के विरुद्ध कई शिक्षकों ने माननीय उच्च न्यायालय में रिट याचिकाएँ दायर की थीं जिसकी एक साथ सुनवाई करके आदेश पारित किया गया है।

2.1 माननीय उच्च न्यायालय ने रिट याचिका सं० 3964/2001 एवं अन्य में यह आदेश पारित किया है कि शिक्षकों की प्रोन्नति पर वेतन निर्धारण मौलिक नियम 22 (सी) के आधार पर न होकर, प्रतिस्थापित नियम 22 (1) (ए) (ii) के अनुरूप ही होगा परंतु 22 (सी) के आधार पर किए गए वेतन निर्धारण के फलस्वरूप किए गए अधिक वेतन भुगतान की वसूली नहीं की जाएगी।

3. माननीय उच्च न्यायालय के उपयुक्त न्याय के आलोक में परिपत्र सं० 7946 वि० (2) दिनांक 16.11.2000 द्वारा दिए गए निर्देश को इस हद तक संशोधित किया जाता है कि जिन मामलों में 22 (सी) के तहत एक वेतनवृद्धि देकर वेतन का निर्धारण किया गया है, उसके फलस्वरूप वेतन मद में अधिक भुगतान की गई राशि की वसूली, अगले आदेश तक, नहीं की जाएगी। उपयुक्त परिपत्र के अनुसरण में निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों को मार्च, 2001 से वेतन–विपत्र में जो प्रमाण पत्र देना था, उसका निम्नांकित वाक्यांश 'साथ ही...— किस्तों में वसूली की कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है" विलोपित रहेगा।

4. परिपत्र सं० 7946 वि० (2) दिनांक 16.11.2000 द्वारा दिए गए अन्य सभी निर्देश प्रभावी रहेंगे। जिन शिक्षकों की प्रोन्नति का वेतन निर्धारण, पूर्व में ही, बिना कोई वेतनवृद्धि दिए मौलिक नियम 22 (1) (ए) (पप), अथवा बिहार सेवा संहिता के नियम 78 (ii) के अनुरूप, किया गया है, उन मामलों में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा।

5. अनुरोध है कि अधीनस्थ सभी प्रधानाध्यापकों/निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों को उपयुक्त निर्णयों की जानकारी देते हुए उनका अनुपालन कृपया सुनिश्चित कराएँ।....."

6. उक्त बकाया वेतन पर ब्याज की माँग की जा रही है। ब्याज भुगतान संबंधी दावा के संबंध में अभिलेखों एवं प्रावधानों का परीक्षण किया गया जिसमें ब्याज भुगतान हेतु कोई स्पष्ट वैधानिक प्रावधान उपलब्ध नहीं है।

अतएव उक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में वादी के दावे को अस्वीकृत करते हुए मामले का मामले का निस्तारण किया जाता है।

(विक्रम विश्वकार)
निदेशक, प्राथमिक शिक्षा।

ज्ञापांक–07 / मु0–02–15 / 2026.....1102..... पटना, दिनांक .....20/03/26.....

प्रतिलिपिः– Bali Sharma Son of Late Ram Sewak Sharma Resident of Kosdihara, Police Station - Paras-Bigha, District - Jehanabad.को सूचनार्थ प्रेषित।

2. जिला शिक्षा पदाधिकारी, जहानाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

19/03/26

निदेशक, प्राथमिक शिक्षा।

ज्ञापांक–07 / मु0–02–15 / 2026.....1102..... पटना, दिनांक .....20/03/26.....

प्रतिलिपिः– आई०टी० मैनेजर, शिक्षा विभाग को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

19/03/26

निदेशक, प्राथमिक शिक्षा।